# प्रसिध्दी पत्रक

## अदानि इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एइएमएल-वितरण)ला दि. १ एप्रिल, २०२० पासून लागू होणारा वीज दर

अदानि इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एइएमएल-वितरण) ही बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र आणि मुंबई उपनगरांमध्ये विजेचे वितरण करणारी एक परवानाधारक आहे. एइएमएल-वितरणची आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८, २०१८-१९ करिता अचूक समायोजन (true-up), २०१९-२० करिता तात्पुरते अचूक समायोजन (provisional truing-up), आणि २०२०-२१ ते २०२४-२५ या नियंत्रण कालावधीकरिता एकूण महसुली गरज (ARR) आणि वीज दरास मंजुरीसाठीची बहु-वर्षीय वीज दर याचिका दि. ८ जानेवारी, २०२० रोजी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दाखल करुन घेतली.

आयोगाने या याचिकेवर जनतेकडून लेखी सूचना मागविल्या आणि दि. ४ फेब्रुवारी, २०२० रोजी जन सुनावणी घेतली. या प्रक्रियेनंतर आयोगाने, **दि. ३० मार्च, २०२०** रोजीच्या आदेशाद्वारे २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीकरिता एइएमएल-वितरणची एकूण महसुली गरज आणि वीज दर निश्चित केला आहे. सुधारित वीज दर **दिनांक १ एप्रिल, २०२०** पासून अंमलात येतील.

आयोगाच्या या आदेशातील ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः

१. आयोगाने, आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ करिता अचूक समायोजन आणि २०१९-२० करिता तात्पुरते अचूक समायोजन केल्यानंतर, एइएमएल-वितरणने दावा केलेल्या रु. ६४३ कोटींच्या निव्वळ तुटीच्या ऐवजी रु. २०२ कोटींची निव्वळ तूट मंजूर केली आहे. महसूल आणि खर्चाची लागू असलेले विनियम आणि आर्थिक दूरदर्शीत्वानुसार छाननी करण्यात आली आहे. आयोगाने ग्राहक हित आणि परवानाधारकाचे वैध खर्च या दोहोंमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२. आयोगाने मागील तूट विचारात घेऊन, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ साठीच्या बहु-वर्षीय वीज दर नियंत्रण कालावधीसाठी एकूण महसुली गरजेच्या वसुलीस खाली दर्शविल्यानुसार मंजुरी दिली आहेः

| | तपशील | युनिट | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | एइएमएल-वितरणने अंदाजित केलेली एकूण महसुली गरज | रु. कोटी | ७,५६७ | ६,८११ | ७,०६५ | ७,३०४ | ७,५९२ |
| २ | आयोगाने मान्य केलेली एकूण महसुली गरज | रु. कोटी | ६,५९९ | ६,७५० | ६,९०० | ७,०३७ | ७,२१४ |
| ३ | वीज पुरवठ्याचा सरासरी खर्च रु. प्रति युनिट | रु. प्रति युनिट | ७.४७ | ७.४६ | ७.४५ | ७.४२ | ७.४३ |
| **४** | **वीज दरातील सरासरी वार्षिक वाढ** | **%** | **-१७.९%** | **-०.१%** | **-०.२%** | **-०.४%** | **०.१%** |

३. **आयोगाने, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सरासरी वीज दरात सुमारे १८ टक्क्यांची मोठी कपात मंजुर केली आहे. नियंत्रण कालावधीच्या उर्वरित चार वर्षांसाठी वीज दर तेच राहण्याची अपेक्षा असून त्यामुळे एइएमएल-वितरणच्या ग्राहकांच्या वीज दरात स्थैर्य राहील.**

४. आपला देश कोविड १९ या वैश्विक महामारीच्या फेऱ्यातून जात असताना हा वीज दर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. राज्यातील विद्यमान स्थिती लक्षात घेता, आयोगाने दिनांक २६/३/२०२० रोजी कार्यप्रणाली निर्देश जारी केले होते, ज्यामध्ये वीज मीटरचे वाचन करणे आणि देयक वाटपाचे काम थांबविण्यात आले होते आणि सध्याच्या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडेपर्यंत सरासरी वीज देयक देण्याचे वितरण कंपन्यांना सांगण्यात आले होते. सरकारने लॉकडाऊन घोषित केल्यामुळे अनेक औद्योगिक आणि वाणिज्यिक आस्थापना बंद ठेवण्यात आल्या आहेत याची आयोगाला कल्पना आहे.

५. महाराष्ट्रातील विद्युत ग्राहकांना सामोरे जावे लागणाऱ्या अडचणींना काहीसे सौम्य करण्यासाठी आणि करोनाचा प्रसार सर्वतोपरी रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांसाठी, दि. २५/३/२०२० रोजी लॉकडाऊन घोषित झाल्यापासून पुढील तीन देयक चक्रांकरिता औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वीज देयकांच्या स्थिर आकारांचा भरणा पुढे ढकलणे योग्य ठरेल असे आयोगास वाटते.

६. वितरण परवानाधारकांना विनियमांपेक्षा जास्त अतिरिक्त खेळते भांडवल पतपुरवठा करणे आवश्यक होणार आहे. तसेच, वितरण व्यवसाय सुरु ठेवण्यासाठी अन्य अतिरिक्त खर्च देखील करण्याची आवश्यकता आहे. याबरोबरच, अतिरिक्त खेळत्या भांडवलावर व्याज द्यावे लागणार आहे. सद्य परिस्थितीत लॉकडाऊनच्या प्रभावाने परिणाम झालेल्या विद्युत ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे मत आहे. आयोग मध्यावधी वीज दर आढावा प्रक्रियेदरम्यान खेळत्या भांडवलावरील अतिरिक्त व्याजामुळे वितरण परवानाधारकांना कराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा उचित विचार करील.

७. वरील वीज दरातील सुधारणेमध्ये, शिल्लक नियामक मत्ता आकारासह (आरएसी), सर्व मागील तुटींचे समायोजन करण्यात आले आहे. १ एप्रिल, २०२० पासून आरएसी आकारण्यात येणार नसल्याने ग्राहकांना वीज दरात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

८. आयोगाने, मागील कालावधीतील वीज खरेदीची प्रदाने करण्यासाठी वितरण परवानाधारकासह रु. ४२० कोटींचा बफर निधी तयार केला आहे, ज्यास अद्याप मूर्त स्वरुप द्यावयाचे आहे, त्यामुळे

ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज दर म्हणून अशी कोणतीही वसुली स्वतंत्रपणे करण्याची आवश्यकता नाही.

९. आयोगाने, इंधन समायोजन आकारांमुळे (एफएसी) वीज खरेदी खर्चातील संभाव्य तफावतीवर उपाययोजनेसाठी रु. ११० कोटींच्या एफएसी स्थिरता निधीस मंजुरी दिली आहे. हा निधी, इंधन खर्चात दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या ३ टक्क्यांच्या वाढीच्या माध्यमातून मंजूर केलेल्या अतिरिक्त रकमेमधून, तयार करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. इंधन समायोजन आकारांची प्रारंभिक रक्कम ऋण असण्याची अपेक्षा आहे, ही रक्कम ग्राहकांवर लावण्यात येणार नसून त्याचा वापर हा निधी उभारण्यासाठी करण्यात येईल. त्यानंतर, अनपेक्षित वाढ झाल्यास, या निधीमध्ये उपलब्ध असलेली रक्कम प्रथम वापरण्यात येईल आणि केवळ तूट इंधन समायोजन आकार म्हणून लावण्यात येईल. हा निधी वीज दरात स्थैर्य आणण्यासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

१०. स्मार्ट मीटर बसविणे, वितरण जाळयात वाढ इ. वितरण परवानाधारकांनी प्रस्तावित केलेल्या नवीन उपक्रमांपोटी मंजूर केलेल्या भांडवलीकरणाचा परिणाम देखील आयोगाने विचारात घेतला आहे.

११. एइएमएल-वितरणच्या वायरद्वारे टाटा पॉवर कंपनी लि. (टीपीसी-वितरण) कडून विजेचा पुरवठा प्राप्त करणाऱ्या ५.४० लाख लघु-दाब निवासी ग्राहकांसह सुमारे ५.५१ लाख चेंजओव्हर ग्राहक आहेत. आयोगाने टीपीसी-वितरण करिता देखील **दिनांकः ३० मार्च, २०२०** रोजी वीज दर आदेश निर्गमित केला आहे.

१२. राज्यातील विद्युत वाहनांना यापुढेही प्रोत्साहन चालू ठेवण्यासाठी, आयोगाने, उच्च-दाब आणि लघु-दाब व्होल्टेज पातळीवर विद्युत वाहने (इव्ही) चार्जिंग स्टेशन्स करिता, वीज पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चापेक्षा कमी, वीज दरात सवलतीस मान्यता दिली आहे, ज्याकरिता एकत्रित आकार रु. ५.५० प्रति युनिट आणि मागणी आकार रु. ७० प्रति केव्हीए प्रति महिना राहील. तसेच, ही चार्जिंग स्टेशन्स टाईम-ऑफ-डे वीज दरांव्यतिरिक्त, लागू असल्याप्रमाणे, लोड फॅक्टर आणि पॉवर फॅक्टर प्रोत्साहन/दंडास देखील पात्र राहतील, ज्यामुळे त्यांचा वीज दर आणखी कमी होईल.

१३. विद्यमान आदेशांची अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवताना आणि सार्वजनिक वाहतूक आणि ठोक ग्राहकांना मदत करण्यासाठी, रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल आणि अति-उच्च दाब (११०/१३२ केव्ही) व्होल्टेज पातळीवर वीज पुरवठा घेणाऱ्या अन्य ग्राहकांना वहन आकार पुढेही लागू राहणार नाहीत. (एइएमएल-वितरणचे अति-उच्च दाब पातळीवर वितरण जाळे नाही.)

१४. बहुसंख्य ग्राहकांनी सुचविल्यानुसार आणि सोप्या व सुसुत्रीत वीज दर रचनेकडे वाटचाल करण्यासाठी, आयोगाने, विद्यमान वीज दर रचनेमधील अनेक वर्गवारी कमी केल्या आहेत. हे सुसुत्रीकरण वीज पुरवठ्याच्या प्राथमिक उद्दिष्टाच्या आधारावर आहे.

त्यानुसार, आयोगाने सार्वजनिक जल परियोजना आणि पथदिव्यांसाठीच्या वर्गवारींचे सार्वजनिक सेवेसाठीच्या अन्य वर्गवारीमध्ये विलीनीकरण केले आहे. त्याचप्रमाणे, जाहिरात व होर्डींग आणि तात्पुरता पुरवठा - अन्य या वर्गवारींचे वाणिज्यिक वर्गवारीमध्ये विलीनीकरण केले आहे. तात्पुरता पुरवठा – धार्मिक आणि स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठींच्या वर्गवारींचे निवासी वर्गवारीमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे.

या सुसुत्रीकरणानंतर, उच्च-दाब व्होल्टेजमध्ये केवळ ६ वर्गवारी आणि लघु-दाब व्होल्टेजमध्ये केवळ ५ वर्गवारी असतील. वर्गवारींचे विलीनीकरण आणि सुसुत्रीकरण करताना, आयोगाने ग्राहकांच्या कोणत्याही वर्गवारीला वीज दरवाढीचा धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतली आहे.

१५. स्थिर/मागणी आकारांमधून स्थिर खर्चाची वसुली करण्याच्या कल्पनेचा स्वीकार करुन, ही वसुली हळूहळू वाढविण्यात येईल. हे करत असताना, स्थिर/मागणी आकारांमधील वाढीचा परिणाम भरुन काढण्यासाठी उर्जा आकार कमी राहतील याची काळजी घेण्यात आली आहे. त्याशिवाय, ग्राहाकांच्या वीज दरात एकूण घट होऊन त्यांना दिलासा मिळण्यासाठी प्रोत्साहन-अधिदान कायम ठेवण्यात/त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

१६. मागील मध्यावधी वीज दर आढाव्यामध्ये आयोगाने kVAh वीज दर आकारणीत पॉवर फॅक्टर (पीएफ) प्रोत्साहन/दंड लावण्याच्या पध्दतीऐवजी निवडक ग्राहक वर्गवारींसाठी kVAh वीज दर आकारणी सुरु करण्याचा हेतू घोषित केला होता. kVAh वीज दर आकारणीत ग्राहकांना त्यांच्या पीएफ नुसार प्रोत्साहन किंवा दंड आकारण्याची पध्दती अंतर्निहित आहे, त्यामुळे ग्राहकांना वितरण हानिमध्ये घट, यंत्रणा स्थैर्यात सुधारणा, वीज पुरवठयाची गुणवत्ता आणि व्होल्टेज प्रोफाईलमध्ये सुधारणा साध्य करण्यासाठी युनिटी पीएफ राखण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यानुसार, आयोगाने बहु-वर्षीय वीज दर आदेशाच्या माध्यमातून kVAh वीज दर आकारणीस टप्प्याटप्प्याने

सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात, सर्व उच्च-दाब वर्गवारींसाठी kVAh देयक आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, ही वीज दर आकारणी उचित वेळी अन्य वर्गवारींना लागू करण्यात येईल.

१७. आयोगाने निरनिराळ्या ग्राहक वर्गवारी अंतर्गत असणारी क्रॉस-सबसिडीची पातळी, म्हणजे ग्राहकांची एक वर्गवारी दुसऱ्या वर्गवारीला किती मर्यादेपर्यंत क्रॉस-सबसिडी देईल किंवा घेईल, ही विद्युत अधिनियम, २००३ व राष्ट्रीय वीज धोरणाला अधीन राहून ठरविली आहे. पाच वर्षांच्या नियंत्रण कालावधीतील वर्गवारीनिहाय क्रॉस-सबसिडीची पातळी परिशिष्ट ७ मध्ये देण्यात आली आहे.

१८. वितरण परवानाधारकांमधील निकोप स्पर्धा कायम राहील अशा पध्दतीने, आयोगाने, स्पर्धा असलेल्या समांतर परवानाधारकांच्या वीज दरांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

१९. आयोगाने, परवानाधारकाची विनंती विचारात घेऊन, नवीन अर्जावर कार्यवाही करणे, मीटर बदलण्याची विनंती इ. करिता लागू असलेली आकारांच्या अनुसूचीमधील बदलास देखील मंजुरी दिली आहे.

२०. आयोगाने क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड, युपीआय, भीम, इंटरनेट बँकींग, मोबाईल बँकींग, मोबाईल वॉलेट इ. द्वारा मासिक विद्युत देयकांचा भरणा करणाऱ्या लघु-दाब वर्गवारीमधील ग्राहकांच्या मासिक विद्युत देयकांमध्ये, प्रति महिना रु. ५००/- च्या मर्यादेच्या अधीन राहून, ०.२५ टक्क्यांची सूट (कर आणि शुल्क वगळून) कायम ठेवली आहे.

२१. ग्राहकांनी प्रत्यक्ष देयकाच्या प्रती ऐवजी ई-देयकचा पर्याय स्वीकारल्यास, कागदाच्या वापरात बचत तसेच देयकाची छपाई आणि देयक वितरणाच्या खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने, आयोगाने ग्राहकांना देयकामध्ये प्रति महा प्रति देयक रु. १०/- ची सवलत देण्यास मंजुरी दिली आहे.

२२. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ साठी विद्यमान आणि सुधारित वर्गवारी-निहाय वीज दराची तुलना खालील परिशिष्टांमध्ये देण्यात आली आहेः

अ. **परिशिष्ट १:** आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करिता विद्यमान आणि सुधारित वर्गवारी-निहाय वीज दर;

ब. **परिशिष्ट २:** आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करिता सुधारित वर्गवारी-निहाय वीज दर;

क. **परिशिष्ट ३:** आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करिता सुधारित वर्गवारी-निहाय वीज दर;

ड. **परिशिष्ट ४:** आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करिता सुधारित वर्गवारी-निहाय वीज दर;

इ. **परिशिष्ट ५:** आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिता सुधारित वर्गवारी-निहाय वीज दर;

२३. वर्गवारी-निहाय सरासरी देयक आकारणी दर आणि वीज दरातील वाढ/घट **परिशिष्ट ६** मध्ये दाखविण्यात आली आहेः

२४. क्रॉस-सबसिडीची वर्गवारी-निहाय पातळी **परिशिष्ट ७** मध्ये दाखविण्यात आली आहेः

२५. एइएमएल-वितरणने दावा केलेली एकूण महसुली गरज आणि आयोगाकडून मंजूर करण्यात आलेली रक्कम या दोहोंतील मुख्य तफावत **परिशिष्ट ८** मध्ये देण्यात आली आहे.

२६. वेगवेगळ्या ग्राहक वर्गवारीतील मिश्र ग्राहक, मिश्र विक्री आणि महसुली योगदान **परिशिष्ट ९** मध्ये चित्ररुपात सादर करण्यात आले आहेः

२७. सदर आदेश आयोगाच्या www.merc.gov.in. या संकेत-स्थळावर पाहता आणि उतरवून घेता येईल.

**Annexure 1: Category-wise Tariff for AEML-D's consumers effective from 1 April, 2020 [FY 2020-21]**

| Consumer Category & Consumption Slab | Existing Tariff | | | Revised Applicable Tariff from 1 April, 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fixed Charge (Rs / Consumer /month) | Demand Charge (Rs/KVA/month) | Total Variable Charges (Rs./kVAh) * or (Rs/kWh) | Fixed Charge (Rs / Consumer /month) | Demand Charge (Rs/KVA/ month) | Energy Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Wheeling Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Total Variable Charges (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | % Increase (+)/Decrease (-) |
| **HT Category** | | | | | | | | | |
| HT I -Industry | | 305 | 9.48 | | 320 | 5.90 | 0.70 | 6.60 | -25.5% |
| HT II - Commercial | | 305 | 9.74 | | 320 | 6.23 | 0.70 | 6.93 | -20.8% |
| HT III - Bulk Supply Residential | | 305 | 9.28 | | 320 | 6.19 | 0.70 | 6.88 | -23.4% |
| HT IV - Railways / Metro / Monorail | | 305 | 8.12 | | 320 | 5.55 | 0.70 | 6.25 | -19.4% |
| HT V - Public Service (A) | | 305 | 8.28 | | 320 | 5.61 | 0.70 | 6.31 | -19.4% |
| HT V - Public Service (B) | | 305 | 9.47 | | 320 | 6.24 | 0.70 | 6.94 | -21.9% |
| HT – VI – Electric Vehicle Charing Stations | | 70 | 6.16 | | 70 | 4.61 | 0.70 | 5.31 | -13.8% |
| **LT Category** | | | | | | | | | |
| LT I - Below Poverty Line | 10 | | 3.12 | 10 | | 1.00 | 1.57 | 2.57 | -17.6% |
| **LT – I - Residential** | | | | | | | | | |
| 0-100 | 65 | | 5.06 | 70 | | 2.90 | 1.57 | 4.47 | -12.3% |
| 101-300 | 105 | | 8.42 | 110 | | 4.85 | 1.57 | 6.42 | |
| 301-500 | 105 | | 9.65 | 110 | | 6.65 | 1.57 | 8.22 | |
| 500 and above | 130 | | 11.60 | 135 | | 7.80 | 1.57 | 9.37 | |
| LT II (a) Commercial - 0-20 kW | 365 | | 9.33 | 385 | | 5.70 | 1.57 | 7.27 | -19.4% |
| LT II (b) Commercial - 20-50 kW | | 305 | 9.47 | | 320 | 6.05 | 1.57 | 7.62 | -16.1% |
| LT II (c) Commercial - above 50 kW | | 305 | 9.81 | | 320 | 6.55 | 1.57 | 8.12 | -14.4% |

| Consumer Category & Consumption Slab | Existing Tariff | | | Revised Applicable Tariff from 1 April, 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fixed Charge (Rs / Consumer /month) | Demand Charge (Rs/KVA/month) | Total Variable Charges (Rs./kVAh) * or (Rs/kWh) | Fixed Charge (Rs / Consumer /month) | Demand Charge (Rs/KVA/ month) | Energy Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Wheeling Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Total Variable Charges (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | % Increase (+)/Decrease (-) |
| LT III (a) - LT Industrial upto 20 kW | 365 | | 9.03 | 385 | | 5.55 | 1.57 | 7.12 | -18.0% |
| LT III (b) - LT Industrial above 20 kW | | 305 | 9.32 | | 320 | 5.95 | 1.57 | 7.52 | -16.8% |
| LT IV (A) - Public Service (Govt.Edu. Institutes and Hosp.) | 365 | | 8.38 | 385 | | 5.60 | 1.57 | 7.17 | -14.2% |
| LT IV (B) - Public Service (Others) | 365 | | 8.85 | 385 | | 6.00 | 1.57 | 7.57 | -14.3% |
| LT V – EV Charging Stations | | 70 | 6.00 | | 70 | 3.93 | 1.57 | 5.50 | -8.3% |

**Note:** Existing Variable Charge includes RAC & FAC for all categories; Existing Energy Charges for HT category in kVAh terms derived based on category-wise Power Factor

## Annexure 2: Category-wise Tariff for AEML-D's consumers for FY 2021-22

| Consumer Category & Consumption Slab | Revised Applicable Tariff from 1 April, 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fixed Charge (Rs / Consumer /month) | Demand Charge (Rs/KVA/ month) | Energy Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Wheeling Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Total Variable Charges (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) |
| **HT Category** | | | | | |
| HT I -Industry | | 335 | 5.90 | 0.65 | 6.55 |
| HT II - Commercial | | 335 | 6.23 | 0.65 | 6.88 |
| HT III - Bulk Supply Residential | | 335 | 6.19 | 0.65 | 6.84 |
| HT IV - Railways / Metro / Monorail | | 335 | 5.36 | 0.65 | 6.01 |
| HT V - Public Service (A) | | 335 | 5.61 | 0.65 | 6.26 |
| HT V - Public Service (B) | | 335 | 6.24 | 0.65 | 6.89 |
| HT – VI – Electric Vehicle Charing Stations | | 70 | 4.66 | 0.65 | 5.31 |
| **LT Category** | | | | | |
| LT I - Below Poverty Line | 10 | | 1.00 | 1.46 | 2.46 |
| **LT – I - Residential** | | | | | |
| 0-100 | 75 | | 3.05 | 1.46 | 4.51 |
| 101-300 | 115 | | 5.00 | 1.46 | 6.46 |
| 301-500 | 115 | | 6.65 | 1.46 | 8.11 |
| 500 and above | 140 | | 7.80 | 1.46 | 9.26 |
| LT II (a) Commercial - 0-20 kW | 405 | | 5.65 | 1.46 | 7.11 |
| LT II (b) Commercial - 20-50 kW | | 335 | 6.05 | 1.46 | 7.51 |
| LT II (c) Commercial - above 50 kW | | 335 | 6.60 | 1.46 | 8.06 |
| LT III (a) - LT Industrial upto 20 kW | 405 | | 5.55 | 1.46 | 7.01 |
| LT III (b) - LT Industrial above 20 kW | | 335 | 5.95 | 1.46 | 7.41 |
| LT IV (A) - Public Service (Govt.Edu. Institutes and Hosp.) | 405 | | 5.60 | 1.46 | 7.06 |
| LT IV (B) - Public Service (Others) | 405 | | 6.00 | 1.46 | 7.46 |
| LT V – EV Charging Stations | | 70 | 4.04 | 1.46 | 5.50 |

## Annexure 3: Category-wise Tariff for AEML-D's consumers for FY 2022-23

| Consumer Category & Consumption Slab | Revised Applicable Tariff from 1 April, 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fixed Charge (Rs / Consumer /month) | Demand Charge (Rs/KVA/ month) | Energy Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Wheeling Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Total Variable Charges (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) |
| **HT Category** | | | | | |
| HT I -Industry | | 355 | 5.85 | 0.66 | 6.51 |
| HT II - Commercial | | 355 | 6.09 | 0.66 | 6.74 |
| HT III - Bulk Supply Residential | | 355 | 5.99 | 0.66 | 6.64 |
| HT IV - Railways / Metro / Monorail | | 355 | 5.55 | 0.66 | 6.21 |
| HT V - Public Service (A) | | 355 | 5.61 | 0.66 | 6.27 |
| HT V - Public Service (B) | | 355 | 6.04 | 0.66 | 6.70 |
| HT – VI – Electric Vehicle Charing Stations | | 70 | 4.66 | 0.66 | 5.32 |
| **LT Category** | | | | | |
| LT I - Below Poverty Line | 10 | | 1.00 | 1.47 | 2.47 |
| **LT – I - Residential** | | | | | |
| 0-100 | 80 | | 3.05 | 1.47 | 4.52 |
| 101-300 | 120 | | 5.00 | 1.47 | 6.47 |
| 301-500 | 120 | | 6.70 | 1.47 | 8.17 |
| 500 and above | 145 | | 7.80 | 1.47 | 9.27 |
| LT II (a) Commercial - 0-20 kW | 425 | | 5.45 | 1.47 | 6.92 |
| LT II (b) Commercial - 20-50 kW | | 355 | 6.00 | 1.47 | 7.47 |
| LT II (c) Commercial - above 50 kW | | 355 | 6.55 | 1.47 | 8.02 |
| LT III (a) - LT Industrial upto 20 kW | 425 | | 5.55 | 1.47 | 7.02 |
| LT III (b) - LT Industrial above 20 kW | | 355 | 5.95 | 1.47 | 7.42 |
| LT IV (A) - Public Service (Govt.Edu. Institutes and Hosp.) | 425 | | 5.60 | 1.47 | 7.07 |
| LT IV (B) - Public Service (Others) | 425 | | 6.00 | 1.47 | 7.47 |
| LT V – EV Charging Stations | | 70 | 4.03 | 1.47 | 5.50 |

## Annexure 4: Category-wise Tariff for AEML-D's consumers for FY 2023-24

| Consumer Category & Consumption Slab | Revised Applicable Tariff from 1 April, 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fixed Charge (Rs / Consumer /month) | Demand Charge (Rs/KVA/ month) | Energy Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Wheeling Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Total Variable Charges (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) |
| **HT Category** | | | | | |
| HT I -Industry | | 375 | 5.80 | 0.66 | 6.46 |
| HT II - Commercial | | 375 | 6.04 | 0.66 | 6.70 |
| HT III - Bulk Supply Residential | | 375 | 5.99 | 0.66 | 6.64 |
| HT IV - Railways / Metro / Monorail | | 375 | 5.46 | 0.66 | 6.12 |
| HT V - Public Service (A) | | 375 | 5.43 | 0.66 | 6.08 |
| HT V - Public Service (B) | | 375 | 6.04 | 0.66 | 6.70 |
| HT – VI – Electric Vehicle Charing Stations | | 70 | 4.66 | 0.66 | 5.32 |
| **LT Category** | | | | | |
| LT I - Below Poverty Line | 10 | | 1.00 | 1.48 | 2.48 |
| **LT – I - Residential** | | | | | |
| 0-100 | 85 | | 2.95 | 1.48 | 4.43 |
| 101-300 | 125 | | 4.90 | 1.48 | 6.38 |
| 301-500 | 125 | | 6.75 | 1.48 | 8.23 |
| 500 and above | 155 | | 7.85 | 1.48 | 9.33 |
| LT II (a) Commercial - 0-20 kW | 450 | | 5.45 | 1.48 | 6.93 |
| LT II (b) Commercial - 20-50 kW | | 375 | 5.95 | 1.48 | 7.43 |
| LT II (c) Commercial - above 50 kW | | 375 | 6.50 | 1.48 | 7.98 |
| LT III (a) - LT Industrial upto 20 kW | 450 | | 5.45 | 1.48 | 6.93 |
| LT III (b) - LT Industrial above 20 kW | | 375 | 5.90 | 1.48 | 7.38 |
| LT IV (A) - Public Service (Govt.Edu. Institutes and Hosp.) | 450 | | 5.60 | 1.48 | 7.08 |
| LT IV (B) - Public Service (Others) | 450 | | 6.00 | 1.48 | 7.48 |
| LT V – EV Charging Stations | | 70 | 4.02 | 1.48 | 5.50 |

**Annexure 5: Category-wise Tariff for AEML-D's consumers for FY 2024-25**

| Consumer Category & Consumption Slab | Revised Applicable Tariff from 1 April, 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fixed Charge (Rs / Consumer /month) | Demand Charge (Rs/KVA/ month) | Energy Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Wheeling Charge (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) | Total Variable Charges (Rs./kVAh) or (Rs/kWh) |
| **HT Category** | | | | | |
| HT I -Industry | | 395 | 5.80 | 0.66 | 6.46 |
| HT II - Commercial | | 395 | 6.04 | 0.66 | 6.70 |
| HT III - Bulk Supply Residential | | 395 | 5.99 | 0.66 | 6.64 |
| HT IV - Railways / Metro / Monorail | | 395 | 5.46 | 0.66 | 6.12 |
| HT V - Public Service (A) | | 395 | 5.43 | 0.66 | 6.08 |
| HT V - Public Service (B) | | 395 | 6.14 | 0.66 | 6.79 |
| HT – VI – Electric Vehicle Charing Stations | | 70 | 4.66 | 0.66 | 5.32 |
| **LT Category** | | | | | |
| LT I - Below Poverty Line | 10 | | 1.00 | 1.48 | 2.48 |
| **LT – I - Residential** | | | | | |
| 0-100 | 90 | | 2.90 | 1.48 | 4.38 |
| 101-300 | 130 | | 4.90 | 1.48 | 6.38 |
| 301-500 | 130 | | 6.75 | 1.48 | 8.23 |
| 500 and above | 165 | | 7.85 | 1.48 | 9.33 |
| LT II (a) Commercial - 0-20 kW | 475 | | 5.40 | 1.48 | 6.88 |
| LT II (b) Commercial - 20-50 kW | | 395 | 5.95 | 1.48 | 7.43 |
| LT II (c) Commercial - above 50 kW | | 395 | 6.50 | 1.48 | 7.98 |
| LT III (a) - LT Industrial upto 20 kW | 475 | | 5.45 | 1.48 | 6.93 |
| LT III (b) - LT Industrial above 20 kW | | 395 | 5.90 | 1.48 | 7.38 |
| LT IV (A) - Public Service (Govt.Edu. Institutes and Hosp.) | 475 | | 5.60 | 1.48 | 7.08 |
| LT IV (B) - Public Service (Others) | 475 | | 6.00 | 1.48 | 7.48 |
| LT V – EV Charging Stations | | 70 | 4.02 | 1.48 | 5.50 |

**Annexure 6: Category-wise Average Billing Rate and Tariff Increase/(Reduction) for AEML-D's consumers for FY 2020-21 to FY 2024-25**

| Consumer Categories | Average Billing Rate (Rs./kWh) | | | | | | Tariff Increase | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Existing | Approved | | | | | Approved | | | | |
| | | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | FY 2023-24 | FY 2024-25 | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | FY 2023-24 | FY 2024-25 |
| **HT CATEGORIES** | | | | | | | | | | | |
| HT I - Industry | 10.60 | 7.89 | 7.80 | 7.73 | 7.66 | 7.64 | -25.5% | -1.2% | -0.9% | -0.9% | -0.3% |
| HT II - Commercial | 11.33 | 8.97 | 9.21 | 9.45 | 9.86 | 10.41 | -20.8% | 2.7% | 2.6% | 4.3% | 5.5% |
| HT III - Group Housing Society (Residential) | 10.13 | 7.76 | 7.82 | 7.78 | 8.00 | 8.33 | -23.4% | 0.7% | -0.5% | 2.8% | 4.1% |
| HT IV – Railways, Metro & Mono | 9.56 | 7.71 | 7.55 | 7.89 | 7.93 | 8.07 | -19.4% | -2.1% | 4.5% | 0.5% | 1.8% |
| HT V - Public Services (A) | 9.92 | 8.00 | 8.07 | 8.23 | 8.21 | 8.41 | -19.4% | 0.9% | 2.0% | -0.3% | 2.5% |
| HT V - Public Services (B) | 10.60 | 8.28 | 8.31 | 8.22 | 8.33 | 8.55 | -21.9% | 0.4% | -1.1% | 1.4% | 2.6% |
| **LT CATEGORIES** | | | | | | | | | | | |
| LT I (B) - Residential | 7.42 | 6.51 | 6.53 | 6.56 | 6.51 | 6.51 | -12.3% | 0.3% | 0.5% | -0.8% | 0.0% |
| LT II - Commercial (A) - Upto 20 kW | 10.30 | 8.31 | 8.19 | 8.05 | 8.11 | 8.12 | -19.4% | -1.4% | -1.7% | 0.8% | 0.1% |
| LT II - Commercial (B) - > 20 kW & < 50kW | 11.08 | 9.30 | 9.12 | 9.22 | 9.32 | 9.50 | -16.1% | -1.9% | 1.0% | 1.1% | 1.9% |
| LT II - Commercial (C) - > 50kW | 11.21 | 9.60 | 9.63 | 9.73 | 9.81 | 9.95 | -14.4% | 0.4% | 0.9% | 0.9% | 1.4% |
| LT III (A) - Industry < 20 kW | 9.36 | 7.68 | 7.59 | 7.62 | 7.35 | 7.37 | -18.0% | -1.2% | 0.4% | -3.6% | 0.4% |
| LT III (B) - Industry > 20kW | 10.40 | 8.66 | 8.60 | 8.72 | 8.78 | 8.89 | -16.8% | -0.6% | 1.3% | 0.7% | 1.3% |
| LT IX - Public Services (A) Govt. Edu. Inst. & Hospitals | 8.47 | 7.27 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 7.15 | -14.2% | -1.6% | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
| LT IX - Public Services (B) Others | 8.92 | 7.65 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.52 | -14.3% | -1.6% | 0.1% | -0.1% | -0.1% |

**Annexure 7: Category-wise Cross-Subsidy for AEML-D's consumers for FY 2020-21 to FY 2024-25**

| Consumer Categories | Cross-Subsidy (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Existing | Approved | | | | |
| | | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | FY 2023-24 | FY 2024-25 |
| **HT CATEGORIES** | | | | | | |
| HT I - Industry | 142% | 106% | 105% | 104% | 103% | 103% |
| HT II - Commercial | 152% | 120% | 124% | 127% | 133% | 140% |
| HT III - Group Housing Society (Residential) | 136% | 104% | 105% | 105% | 108% | 112% |
| HT IV – Railways, Metro & Mono | 128% | 103% | 101% | 106% | 107% | 109% |
| HT V - Public Services (A) | 133% | 107% | 108% | 111% | 111% | 113% |
| HT V - Public Services (B) | 142% | 111% | 112% | 111% | 112% | 115% |
| **LT CATEGORIES** | | | | | | |
| LT I (B) - Residential | 99% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| LT II - Commercial (A) - Upto 20 kW | 138% | 111% | 110% | 108% | 110% | 109% |
| LT II - Commercial (B) - > 20 kW & < 50kW | 148% | 125% | 123% | 124% | 126% | 128% |
| LT II - Commercial (C) - > 50kW | 150% | 128% | 129% | 131% | 132% | 134% |
| LT III (A) - Industry < 20 kW | 125% | 103% | 102% | 103% | 99% | 99% |
| LT III (B) - Industry > 20kW | 139% | 116% | 116% | 117% | 118% | 120% |
| LT IX - Public Services (A) Govt. Edu. Inst. & Hospitals | 113% | 97% | 96% | 96% | 97% | 96% |
| LT IX - Public Services (B) Others | 119% | 102% | 101% | 101% | 102% | 101% |

**Annexure 8: Key variations between the ARR claimed by AEML-D and amounts approved by the Commission**

| Sl. | Particulars | ARR Claimed over the 8-year period from FY 2017-18 to FY 2024-25 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TPC-D | Commission | Difference |
| | | A | B | C = B - A |
| 1 | Total ARR | **58986** | **56798** | **-2188** |
| | **Major Heads** | | | |
| 2 | Power Purchase | 33617 | 34078 | 461 |
| 3 | O&M Expenses | 11114 | 10639 | -475 |
| 4 | Depreciation | 2897 | 2571 | -326 |
| 5 | Interest | 1855 | 1338 | -517 |
| 6 | Intra-State Transmission Charges | 4236 | 3608 | -628 |
| 7 | ROE + Income Tax | 5495 | 4987 | -508 |
| 8 | Others | -228 | -424 | -196 |

**Annexure 9: Consumer mix, sales mix, and revenue contribution of different consumer categories**

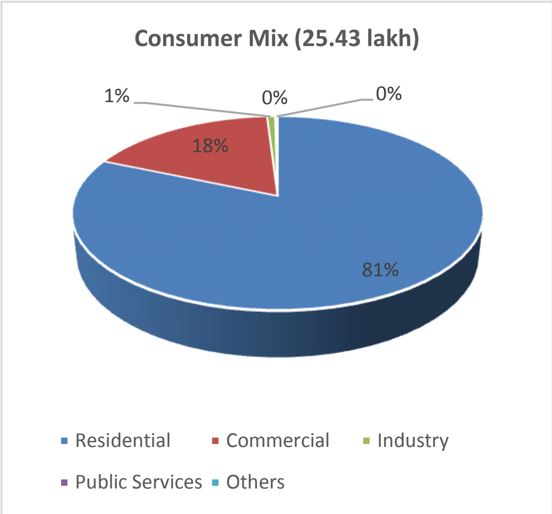


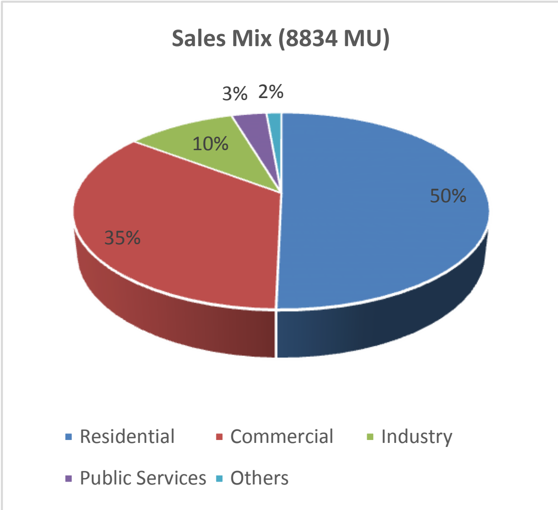


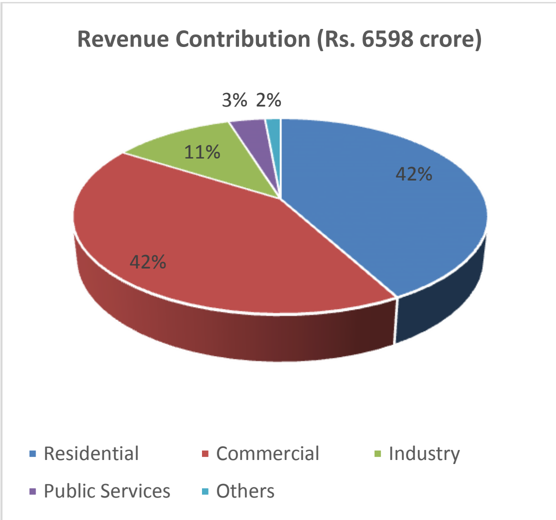


Residential category comprises 81% of the consumer mix, contributes 50% of the sales, and 42% of the revenue. On the other hand, Commercial category comprises 18% of the consumer mix, contributes 35% of the sales, and 42% of the revenue.